राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61/2025
उनवान : तेजसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/415

प्रार्थीगण :–

1. तेजसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपुत
2. लादूसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत
3. छैलसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत तमाम निवासीगण धनापुरा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. स्व. हीराराम के कायम मुकाम वारिसानः–
   2.1. हंसाराम पुत्र हीराराम
   2.2. नेनु पुत्री हीराराम
   2.3 फैन्सी पुत्री हीराराम
   2.4. हंजा पुत्री हीराराम
   2.5. छोगी पुत्री हीराराम
   2.6 शान्ती पुत्री हीराराम
   2.7. पोनी पुत्री हीराराम
   2.8. गुगी पुत्री हीराराम तमाम जातिगण मेघवाल निवासीगण धनापुरा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विरुद्ध बनाराजगी आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 आयोजन शिविर वाडनेरा में अनाधिकृत इन्द्राज राजकीय सिवायचक भूमि न होते पुरानी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि को विधि एवं नियम विरुद्ध कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश दिनांक 08.02.2013 बमुकदमें न. राजस्व 465/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर बइजलास श्री ओ.पी. विश्नोई आर.ए.एस. के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोडण्ट संख्या 2.1 लगाय 2.8 की ओर से अधिवक्ता श्री जगमोहन मेघवाल।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 28.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश कर आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 आयोजन शिविर वाडनेरा में अनाधिकृत इन्द्राज राजकीय सिवायचक भूमि न होते पुरानी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि को विधि एवं नियम विरुद्ध कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन आदेश दिनांक 08.02.2013 बमुकदमें न. राजस्व 465/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर बइजलास श्री ओ.पी. विश्नोई आर.ए.एस. के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम धनापुरा पटवार क्षेत्र वामनेरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर की सरहद में आवेदनकर्ता की बापी खातेदारी खसरान भूमि ख.न. 131 रकबा 2.4600 चाही जाव दोयम खसरा नम्बर 138 रकबा 0.8600 जाव दोयम मय चाही, 159 रकबा 1.00 जाव चाही दोयम खसरा न. 162, रकबा 0.0160 गैर मुमकिन बेरा, खसरा न. 163 रकबा 0.1100 गैर मुमकिन बेरा, खसरा न. 164 रकबा 0.1000 चाही जाव दो, खसरा न. 165

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61/2025
उनवान : तेजसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

रकबा 6.0400 जाव चाही दी. 167 रकबा 0.5700 वा ख.न. 124 रकबा 1.0500 है. दो तथा खसरा न. 166/314 रकबा 0.6600 वसड कुल रकबा 11.8100 भूमि आई हुई स्थित है। उपरोक्त खातेदारी खसरान की भूमि के बीच में गाडी के पास में खसरा न. 131/352 रकबा 0.3200 चाही जाव दोयम की भूमि का टुकडा आया हुआ स्थित है। जिस पर आवेदनकर्ता का पिछले सम्वत् 2009 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी आवेदनकर्ता का कब्जा रहते उस पर इरण्डी की फसल की बुआई आवेदनकर्ता द्वारा की गई है। तथा उसके मुताबिक कब्जा आवेदन कर्ता का पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है।

यह भी कि हाल ही में प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 में दिनांक 08.02.2013 को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के कब्जा काश्त की भूमि खसरा न. 131/352 रकबा 0.3200 चाही जाव दोयम का आवेदन अप्रार्थी संख्या 02 हीराराम को विधि विरुद्ध तरीके से मौका के सारे हालात एवं तथ्यों एवं विधि के सिद्धान्तों को दरकिनार करते आवंटन कर दिया गया जिससे व्यथीत होकर आवेदनकर्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2013 के द्वारा पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली में दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा दिनांक 04.06.2015 पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने प्रकरण में निर्णय दिया कि "प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या दो भूमिहिन होने से उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/465 दिनांक 08.02.2013 द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम ग्राम धनापुरा के खसरा नम्बर 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही जाव दोयम का आवंटन किया। आवंटन हुए दो वर्ष की अवधि हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सख्या दो गैर खातेदार दर्ज है। आवंटन के बाद कब्जा सुपुर्द करना तहसीलदार का दायित्व है। अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जें के संबंध में जांच की जावें अप्रार्थी संख्या 2 का भूमि पर कब्जा नहीं हो तो नियमानुसार कब्जा सुपूर्द किया जाना सुनिश्चित करें। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

इस क्रम में अधिवक्ता ने पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 11/2013 उनवान तेजसिंह वगैराह, बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रस्तुत की।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 06.जनवरी 2023 को प्रकरण में निर्णय पारित किया कि " अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात अपील में वर्णित बिन्दुओं का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।"

प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के प्रकरण संख्या 11/2013 बअनवान तेजसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 04.06.2015 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दर्ज प्र.स. 71/2021 बअनवान तेजसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.01.2023 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्राप्त हुई किन्तु राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7 (15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2.1 लगाय 2.8 की ओर से अधिवक्ता श्री जगमोहन मेघवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.1 लगाय 2.8 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61 / 2025

उनवान : तेजसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. न्यायालय हाजा में तेजसिंह, लादुसिंह, चेलसिंह पुत्रगण रणजीत सिंह निवासी धनापुरा तहसील सुमेरपुर ने माननीय न्यायालय में उपरोक्त अनवान का प्रकरण पेश किया था। जिस प्रकरण में बाद में अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष हुई थी जिसमें हम अप्रार्थी संख्या 02 के पिता स्वर्गीय हीराराम पुत्र केसाराम ने स्वयं लिखकर दिया था कि हीराराम के नाम आवंटनशुदा भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं होने से आवंटन निरस्त किया जावे। जिस पर माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने तारीख 06.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए उपरोक्त अनवान के प्रकरण को माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 हीराराम जी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में मुझ अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया है।
2. यह कि स्व. हीराराम के वारिसान ने मुझ अधिवक्ता को जाहिर किया था कि हमारे पिता के नाम आवंटनशुदा भूमि खसरा संख्या 121 / 352 रकबा 0.32 हैक्टेयर के आवंटन को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 के वारिसान को कोई उजर आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 02 के नाम आवंटित मौजा धनापुरा के खसरा नम्बर 121 / 352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 के वारिसान को कोई ऐतराज नहीं है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जेर अपील विवादित आराजी खसरा संख्या 131 / 352 रकबा 0.32 हैक्टेयर मौजा धनापुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों के मध्य अवस्थित भूमि है जिस पर सम्वत् 2009 से आदिनांक प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों का ही कब्जा काश्त रहा है। किन्तु इस तथ्य की अनदेखी करते हुए उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व अभियान 2013 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2013 को पूर्व अप्रार्थी संख्या हीराराम के पक्ष में उक्त विवादित आराजी का आवंटन कर दिया, जिस से पूर्व न तो प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और न ही वक्त आवंटन से ही उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा ही है। इसी प्रकार आवंटन की गई कृषि भूमि खसरा संख्या 131 / 352 तक पहुँचने हेतु कोई पृथक कटाण मार्ग भी नहीं है। यह भी, कि विवादित आराजी पर सम्वत् 2009 से ही प्रार्थीगण के पिता तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण का निर्बाध कब्जाकाश्त है। बहस को समेकित करते हुए काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि कब्जाकाश्त के अभाव में प्रश्नगत आवंटन निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित करने का आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने वक़्त बहस ज़ाहिर किया कि प्रश्नगत आवंटन सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना उपरान्त किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या 2 (1) लगाय 2(8) ने ज़ाहिर किया कि आवंटित भूमि पर मूल आवंटी अर्थात् उनके पिता का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में अप्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त है, अतः हस्तगत अपील स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने हेतु अप्रार्थीगण सहमत है।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11 / 2013 के द्वारा पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली में दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा दिनांक 04.06.2015 पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने प्रकरण में निर्णय दिया कि "प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या दो भूमिहिन होने से उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व / 465 दिनांक 08.02.2013 द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम ग्राम धनापुरा के खसरा नम्बर 131 / 352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही जाव दोयम का आवंटन किया। आवंटन हुए दो वर्ष की अवधि हुई है। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सख्या दो गैर खातेदार दर्ज है। आवंटन के बाद कब्जा सुपुर्द करना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61/2025
उनवान : तेजसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार का दायित्व है। अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जें के संबंध में जांच की जावें अप्रार्थी संख्या 2 का भूमि पर कब्जा नहीं हो तो नियमानुसार कब्जा सुपूर्द किया जाना सुनिश्चित करें। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

इस क्रम में अपीलाण्ट ने पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 11/2013 उनवान तेजसिंह वगैराह. बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 04.06.2015 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 मे न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रस्तुत की।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 06,जनवरी 2023 को प्रकरण में निर्णय पारित किया कि " अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात अपील में वर्णित बिन्दुओं का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।"

प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के प्रकरण संख्या 11/2013 बअनवान तेजसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 04.06.2015 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दर्ज प्र.स. 71/2021 बअनवान तेजसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 06.01.2023 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के निर्णय को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली को प्राप्त हुई।

सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त यह जाहिर है कि :–

1. न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में निर्णीत अपील प्रकरण संख्या 71/2021 में मूल आवंटी स्व. हीरालाल ने यह स्वीकार किया था "कि.....खसरा संख्या 131/352 में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, न ही आवंटन से लगाकर आज दिन तक करीबन 09 वर्षों में मैने अपने पक्ष में किये गये आवंटन की भूमि में काश्त नहीं की गई है, न ही कब्जा हासिल किया गया है। सुविधा के हिसाब से इस आवेदन के साथ जो सलंग्न नक्शा है, उसमें नीले रंग से इस भूमि को दर्शाया है और बीच में हरे कलर से नाडी प्रकट की हुई है और लाल रंग से जो भूमि नक्शें में दर्शाई गई है वो अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि बाबत मैंने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव, प्रभाव में आये बिना, होश हवास व तन्दुरुस्ती हालत में अपना आवंटन निरस्त कराने के लिए सहमति प्रकट की है। इसलिए इस भूमि को मेरी जगह राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज कर दी जाये तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। उक्त आवेदन मैंने अपने अधिवक्ता के जरिये पेश किया है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि ग्राम धनापुरा तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम का जो भू आवंटन मुझ रेस्पो. संख्या 02 के पक्ष में किया गया उसे खारिज फरमाया जावें।"

   साथ ही, स्व. हीरालाल के कायम मुकाम अप्रार्थीगण संख्या 2(1) लगाय 2(8) ने भी जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि ".....कि हमारे पिता के नाम आवंटनशुदा भूमि खसरा संख्या 121/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर के आवंटन को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 के वारिसान को कोई ऐतराज नहीं है।"
2. इस प्रकार यह निर्विवाद है कि राजस्थान (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानान्तर्गत आवंटित कृषि आराजी खसरा संख्या 131/352 पर वक़्त आवंटन से ही आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं है। उक्त तथ्य आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अप्रार्थीगण ने आवंटन निरस्त करने हेतु सहमति भी व्यक्त की है।
3. यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण को आवंटित करने की इस्तदुआ भी चाही है, किन्तु इस हेतु उपरोक्त नियम 1970 के उपबन्धान्तर्गत न्यायालय हाजा सक्षम प्राधिकारी नहीं है, अपितु आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 61/2025
उनवान : तेजसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार सुमेरपुर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा धनापुरा के खसरा संख्या 131/352 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि को राजकीय खाते में बज़तरफ सरकार दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। साथ ही, तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि उक्त भूमि को राज कब्जे में लेकर निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अभिलेख न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner